

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

डा. कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492002

-:: आदेश ::-

रायपुर, दिनांक 04/06/2010

क्रमांक 812 /एल-8-4/2010/ब-4/चार:- तेरहवें वित्त आयोग की अनुरांसा अनुसार राज्य शासन को वर्ष 2010-2015 की अवधि में सहायता अनुदान तथा विशेष अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- |                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| 1. मुख्य सचिव                               | - अध्यक्ष    |
| 2. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास | - सदस्य      |
| 3. प्रमुख सचिव, वित्त                       | - सदस्य      |
| 4. प्रमुख सचिव, गृह                         | - सदस्य      |
| 5. प्रमुख सचिव, जेल                         | - सदस्य      |
| 6. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण                 | - सदस्य      |
| 7. प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण           | - सदस्य      |
| 8. सचिव, सामान्य प्रशासन                    | - सदस्य      |
| 9. सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास            | - सदस्य      |
| 10. सचिव, स्कूल शिक्षा                      | - सदस्य      |
| 11. सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास | - सदस्य      |
| 12. सचिव, वन                                | - सदस्य      |
| 13. सचिव, जल संसाधन                         | - सदस्य      |
| 14. सचिव, विधि एवं विधायी कार्य             | - सदस्य      |
| 15. सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन           | - सदस्य      |
| 16. सचिव, महिला एवं बाल विकास               | - सदस्य      |
| 17. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण       | - सदस्य      |
| 18. सचिव, संस्कृति                          | - सदस्य      |
| 19. सचिव, उर्जा                             | - सदस्य      |
| 20. उपसचिव, वित्त                           | - सदस्य सचिव |

2/- यह समिति विभागों से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन, वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा करेगी।

*Alpana*  
(अल्पना घोष)  
उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग

RO  
8/6

50 (6-4)  
19/6/10